राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 707/2006

सुरेंद्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह, निवासी ओसियां, जिला जोधपुर

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य.

2. महेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह, निवासी फार्म बासनी बागेला, जोधपुर।

3. मानवेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी भूकरका, थाना। नोहर, जिला हनुमानगढ़।

4. सरदार सिंह पुत्र कल्याण सिंह, निवासी भूकरका, थाना। नोहर, जिला हनुमानगढ़।

5. मदन सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, निवासी मोरिया, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

6. बंशी गिरी पुत्र नैन गिरी, निवासी तलावड़ा, तहसील पंचभद्रा, जिला, बाड़मेर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विनीत जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रवीण व्यास द्वारा सहायता प्राप्त

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एच.एस. जोधा, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>28/08/2024</u>

1. याचिकाकर्ता ने जोधपुर जिले के ओसियां के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आपराधिक नियमित मामला संख्या 161/1996 में पारित दिनांक 18.02.2006 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत आरोपियों (प्रतिवादी संख्या 2 से 6) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 149 और 448 के तहत कथित अपराधों से बरी कर दिया गया था।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि 08.12.1995 को पृथ्वी सिंह द्वारा आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 448 के तहत पुलिस स्टेशन ओसियां में एफआईआर संख्या 194/1995 दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ओसियां में उनके परिवार का पैतृक घर, जो उनके पिता और चाचाओं का था, अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। दिनांक 07.12.1995 को सायं लगभग 7 बजे पृथ्वी सिंह को सूचना मिली कि सायं लगभग 4 बजे महेंद्र सिंह तथा 15-20 अन्य व्यक्ति हथियारबंद होकर जीप तथा ट्रैक्टरों का प्रयोग करते हुए जबरन घर के दरवाजे तथा ताले तोड़कर घुस आए हैं। 2.1 जांच के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध धारा 147 तथा 448/149 भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह प्रस्तुत किए तथा 12 दस्तावेज प्रस्तुत किए। साक्ष्यों का परीक्षण करने के पश्चात निचली अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने इस अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक की दलीलें सुनी हैं तथा निचली अदालत के आदेश का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया और प्रतिवादियों को बरी करने में गलती की। यह तर्क दिया गया है कि अदालत ने विवादित संपत्ति पर पृथ्वी सिंह के कब्जे के बारे में महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया, भले ही शंकर सिंह और पृथ्वी सिंह की गवाह के रूप में जांच नहीं की गई। वकील ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कब्जे के बजाय संपत्ति के शीर्षक से संबंधित बचाव दस्तावेजों पर गलती से भरोसा किया, जिससे यह गलत निष्कर्ष निकला कि धारा 448 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं किया गया था।

5. दलीलों पर विचार करने के बाद, मुझे ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुरूप हैं, और याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रदर्शित नहीं की गई है जो इसे रद्द करने का औचित्य साबित करे। ट्रायल कोर्ट के तर्क और निष्कर्ष ठोस प्रतीत होते हैं और साक्ष्य और लागू कानून द्वारा समर्थित हैं। ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की और गवाहों की गवाही और दस्तावेजी सबूतों में महत्वपूर्ण अंतराल पाया। 14 अभियोजन पक्ष के गवाहों और 12 दस्तावेजों को शामिल करते हुए गहन परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला गया।

5.1. आरोपित आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, इस निष्कर्ष पर आधारित है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी गवाही और महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूतों की अनुपस्थिति के कारण अभियोजन पक्ष का मामला काफी कमजोर हो गया था। न तो पृथ्वी सिंह और न ही शंकर सिंह ने गवाही दी और मांगीलाल, रतन

सिंह, बदनारायण, गणपत सिंह, सत्यनारायण और बंसी सिंह सहित कई अभियोजन पक्ष के गवाह मुकर गए। अन्य गवाहों, जैसे श्यामलाल, सुरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, बाघ सिंह, उदय सिंह और रघुनाथ सिंह ने केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित सबूत पेश किए। ट्रायल कोर्ट ने सही कहा कि केंद्रीय मुद्दा घटना के समय विवादित संपत्ति पर कब्जे का निर्धारण करना था, जो आपराधिक अतिचार को स्थापित करने के लिए आवश्यक था। यद्यपि शिकायतकर्ता और उसके बेटे ने दावा किया कि संपत्ति पृथ्वी सिंह के नाम पर है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस दावे की पुष्टि के लिए पानी या बिजली के बिल या स्वतंत्र गवाह नहीं पेश किए। इसके विपरीत, हेमग्रीव सिंह (आरोपी महेंद्र सिंह के बेटे) सहित बचाव पक्ष के गवाहों ने महेंद्र सिंह के स्वामित्व और संपत्ति पर कब्जे को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनका अभियोजन पक्ष ने विरोध नहीं किया।

6. पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में इस न्यायालय को साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करनी चाहिए, जब तक कि कोई बड़ी त्रुटि या अवैधता न हो। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष, जो तार्किक मूल्यांकन पर आधारित हैं, में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, अन्यथा भी, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, शिकायतकर्ता पृथ्वी सिंह और एक अन्य प्रमुख गवाह शंकर सिंह से पूछताछ नहीं की गई, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में पर्याप्त कमी आई। अन्य महत्वपूर्ण गवाह भी मुकर गए, जिनमें मांगीलाल, रतन सिंह, बदनारायण, गणपत सिंह, सत्यनारायण और बंसी सिंह शामिल हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो गया। - शिकायतकर्ता पक्ष के गवाहों ने केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य प्रस्तुत किए, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं रखते।

8. अभियोजन पक्ष घटना के समय विवादित मकान पर पृथ्वी सिंह के कब्जे को प्रदर्शित करने के लिए पानी या बिजली के बिल जैसे विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत करने में विफल रहा।

9. यह सामान्य कानून है कि धारा 448 आईपीसी के तहत आपराधिक अतिचार के अपराध को साबित करने के लिए कब्जा महत्वपूर्ण है। बचाव पक्ष/आरोपी ने स्वामित्व रिकॉर्ड सहित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें दिखाया गया कि संपत्ति महेंद्र सिंह और उनके परिवार की थी। बचाव पक्ष के गवाह हेमग्रीव सिंह की गवाही ने उनके वैध कब्जे के दावे का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष ने इन दस्तावेजों को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी या अन्यथा साबित करने के लिए प्रति-साक्ष्य प्रदान नहीं किया। आपराधिक मामलों में, उचित संदेह से परे अपराध को साबित करने के लिए सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है। ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष इस बोझ को पूरा करने में विफल रहा।

10. इस प्रकार ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित है और ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित है। फैसले में कोई अवैधता, प्रक्रियात्मक अनियमितता या विकृति नहीं है जो पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराए। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार कानून या प्रक्रिया की गंभीर त्रुटियों को ठीक करने तक सीमित है, जो इस मामले में अनुपस्थित हैं। पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते समय इस न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह संयम बरते तथा तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करे, जब तक कि वे अनुचित या स्पष्ट रूप से गलत न हों। ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण साक्ष्य की तर्कसंगत व्याख्या पर आधारित है तथा आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। परिणाम से शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता का असंतुष्ट होना पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्याय न दर्शाया गया हो, जो कि यहां मामला नहीं है।

11. परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है तथा तदनुसार उसे खारिज किया जाता है।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।